

प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ओबरा सी- बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित 46.778 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि ग्राम-(पोखरौध-8.133 हे0, सरसौं-5.066 हे0, जौगढ़-2.494 हे0, नुनौटी-13.409 हे0, तेन्दुआ कला-0.5 हे0, बरगवाँ-2.666 हे0, हिनौती-14.510 हे0 एवं लम्बिनी-दुद्धी मार्ग SH-5 किमी0 संख्या-359 क्षेत्रफल 0.101 हे0) कुल 46.879 हे0 का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारी के साथ दिनांक 18⁰¹/2020 किया गया। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि उपरोक्त दर्शित भूमि के अतिरिक्त प्रस्तावित पारेषण लाइन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावक विभाग द्वारा उपरोक्त वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। प्रस्तावित पारेषण लाइन के निर्माण से विभिन्न प्रजाति के 364 वृक्ष एवं 494 बॉस कोट प्रभावित होंगे जिसमें से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोट के पातन सम्भावित है।

जनरल मैनेजर
ओबरा सी-बदायूँ ट्रांसमिशन
लिमिटेड

उप प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
पुनार मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सुकत रेंज

मुख्य वन अधिकारी
विद्यमान है

क्षेत्रीय वन अधिकारी
माड़हान रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग

क्षेत्रीय वन अधिकारी
पुनार रेंज